मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र

मीठापुर, पटना 800001

''निविदा आमंत्रण सूचना''

राज्य स्तरीय मत्स्य प्रशिक्षण–सह–प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना अवस्थित कैंटीन में प्रशिक्षणार्थियों के लिए निम्नांकित मेनू के अनुसार भोजन, नास्ता एवं चाय (कैंटीन प्रबंधन एवं साफ–सफाई सहित) हेतु ख्याति प्राप्त, पर्याप्त अनुभव एवं पंजीकृत संवेदकों/संस्था/निजी (व्यक्तिगत) से हेतु द्विलिफाफा पद्धति के अन्तर्गत तकनीकी तथा वित्तीय मुहरबंद निविदाएं अलग–अलग लिफाफों में दिनांक–31/08/2016 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान चयनित प्रशिक्षार्थियों एवं अन्य के लिए लंच, डिनर, नास्ता एवं चाय की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करनी होगी।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा को तकनीकी जाँच अधिकृत तकनीकी समिति के समक्ष दिनांक–01/09/2016 को अपराह्न 3:00 बजे तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी एंव वित्तीय निविदा लिफाफा खोलने समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

लंच/डिनर एवं नास्ते के लिए मेनू

क्रम सं0	खाने का प्रकार (मेनू)	सामग्री
1	नास्ता	रोटी/पराठा/पूड़ी/सब्जी,अचार (सभी व्यंजन आवश्यकतानुसार)
2	दिन का भोजन	चावल/सब्जी/भुजिया/दाल/रोटी/पापड/सलाद/अचार। (सभी व्यंजन आवश्यकतानुसार)
3	रात का भोजन	चावल/सब्जी/भुजिया/दाल/रोटी/प्रापड/सलाद/अचार। (सभी व्यंजन आवश्यकतानुसार)
4	चाय	3 कप प्रति व्यक्ति प्रति दिन बिस्कुट के साथ।

नोट :– उपर्युक्त मेनू के एकीकृत दर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (सभी करों सहित) दर्शाना होगा।

तकनीकी योग्यताएँ एवं शर्तें

1. सरकारी या राज्य सरकार द्वारा निबंधित गैर सरकारी संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक कैंटीन सेवा उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र तिथिवार साक्ष्य सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ सभी स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज समर्पित करना होगा। तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित सभी स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

2. निविदा के साथ मो0 75,000/– (पचहत्तर हजार रूपए मात्र) का अर्नेस्ट मनी संयुक्त मत्स्य निदेशक, के पदनाम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट/ पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट या बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। किसी अन्य मामले में जमा अर्नेस्ट मनी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी अनुबंध की अवधि तक रोक रखी जाएगी। निविदादाता द्वारा निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर भी रोक लगायी जा सकती है।

3. तकनीकी गुणवत्ता के संबंध में अधिसूचित तकनीकी समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर निविदादाता के तकनीकी रूप से सक्षम होने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य होंगे उनका ही वित्तीय लिफाफा खोला जाएगा।

4. अनुबंध की अवधि 11 महीनों के लिए होगी, कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में अगले 11 महीनों के लिए समान दर/आपसी सहमति से निर्धारित दर पर अनुबंध किया जा सकता है।

5. भोजन की गुणवत्ता, मात्रा एवं कैंटीन प्रबंधन की निगरानी विभागीय समिति द्वारा की जायेगी। कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में तुरंत प्रभाव से अनुबंध को रद्द कर दिया जायेगा एवं कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। अनुबंध को रद्द करने एवं बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

6. निदेशानुसार प्रशिक्षण अवधि में कैंटीन का संचालन प्रशिक्षण केन्द्र के आवंटित जगह पर करना होगा।

7. विभाग के द्वारा केवल किचन का स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। खाने–पीने के सारे सामान बर्तन सहित निविदाकर्त्ता को ही व्यवस्था करना होगा।

8. किचेन एवं कैंटीन की सफाई एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता की ही होगी।

9. विभाग के द्वारा पानी की व्यवस्था निःशुल्क होगी लेकिन बाकी कैंटीन से सम्बन्धित सारे कार्यों के लिए उपभोग किये गये बिजली का बिल/विपत्र का भुगतान निविदाकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

10. भोजन में इस्तेमाल होने वाले सारे अवयव उच्च गुणवत्ता एवं ब्राण्डेड कम्पनी का होना चाहिए।

11. ताजी/प्रसंकृत/फ्रोजेन सब्जी का इस्तेमाल करना होगा।